





2022/29

फर्द अहकाम

तीजा बनाम सीता

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्वं वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 17/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.01.2022	<p>यह दावा वादीया की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वकील वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 25.02.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर </p> <p> <u>25-1-22</u> श्रवली पेश हुई। T.O. सा. दोरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण नोटिस नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>6.5.22</u> को पेश हो। </p> <p> <u>54</u> पत्रावली प्राप्त श्री छ सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होते पर नम्बर पर ली गयी। वादियाँ बिना उपस्थित। वादियाँ की पहिचान वकील श्री अरवर खां ने की है। वादियाँ ने प्रार्थना पत्र वाद विज्ञो मय शपथ पत्र पेश किया। वादियाँ को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का आवेदन एवं वादियाँ को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनने के पश्चात वादियाँ का प्रार्थना पत्र वाद विज्ञो शीमा (क्या जकर वाद को विज्ञो करते की अनुमति दी जाती है। वादियाँ का प्रार्थना पत्र वाद विज्ञो शीमा हो जाते से दावा वादियाँ स्विकर किया जाता है। पत्रावली नम्बर से वकील एमर नोट नवकील डाकिव नफर हो। </p>	<p>नोटिस जारी</p> <p>D.N</p> <p>837-844</p> <p>17/2/22</p> <p style="text-align: right;">  R.T. दीपा पञ्चायत अति  8794015 9829165800 </p> <p style="text-align: center;">  </p>